

**न्यायालय- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या- 4, अजमेर
पीठासीन अधिकारी - ऋतु मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

सेशन प्रकरण संख्या - 289/2021
जमानत प्रा. पत्र संख्या : 659/2026, धारा 143, 147, 149, 341, 323,
307 भारतीय दण्ड संहिता

कुनाल उर्फ कुशाल पुत्र श्री मुकेश उर्फ बृजलाल, उम्र 18 साल 6 माह,
निवासी सोमलपुर, पुलिस थाना रामगंज, जिला अजमेर

--प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर

--अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
(483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)**

उपस्थिति-

1. पृथ्वीराज भाटी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री गुलाम नजमी फारुकी, अपर लोक अभियोजक वास्ते अप्रार्थी/राज्य

आदेश दिनांक 05.06.2026

- 1- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
- 2- बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई।
- 3- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त कमाने खाने अजमेर से बाहर गया होने कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत जब्त कर वारण्ट जारी कर

दिये। प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति परिस्थितिवश रही है। प्रार्थी/अभियुक्त के अत्यधिक बीमार होने एवं ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण भी प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी/अभियुक्त परिवार कर पालन-पोषण करने वाला अकेला व्यक्ति है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से बीमारी के संबंध में दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये।

4- इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

5- दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 143, 147, 149, 341, 323, 307 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं प्रकरण में समस्त गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं को ब्रेन स्ट्रोक आना व उसका इलाज चलना बताया है, जिसके संबंध में मेडिकल दस्तावेज पेश किये गये हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त की मेडिकल स्थिति को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

6- परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त कुनाल उर्फ कुशाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो विद्वान विचारण न्यायालय के सन्तोषप्रद 2,00,000 रुपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र एवं 2,00,000 रुपये की एक जमानत इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगी तो प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

7- उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (CRIMINAL) NO. 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR

GRANT OF BAIL में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में मुलजिम को उपलब्ध कराने हेतु जरिये ई-मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

8- आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर